झारखण्ड शिक्षा परियोजना (समग्र शिक्षा)
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
नया समाहरणालय भवन, तृतीय तल (3-R), पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
पिन– 833202, Email– jepwsm@gmail.com

आम सूचना

शैक्षणिक सत्र 2026–27 में पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत संचालित मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रारंभिक कक्षा में RTE Act-2009 12(1)(C) के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन हेतु RTE Portal पर ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों का लॉट्री प्रक्रिया के तहत चयनों उपरांत संबंधित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के द्वारा नामांकनोपरांत रिक्त सीटों पर नामांकन हेतु आमजन को सूचित किया जाता है कि RTE के तहत 25% सीटों पर नामांकन हेतु ऑनलाईन आवेदन जिला के RTE पोर्टल पर दिनांक 07.07.2026 से 25.07.2026 तक किया जा सकता है। विद्यालयवार रिक्त सीटों का विवरणी निम्नवत है–

Sl.No.	UDise Code	School Name	Vacant
1	20171906406	Padmawati Jain Saraswati Shishu Vidya Mandir, Chaibasa	6
2	20170222301	Delhi Public School, Chakradharpur	7
3	20170704518	Ideal English Medium school, Jagannathpur	19
4	20170704513	Kerala English Medium School, Jagannathpur	6
5	20170204603	Koncept Public School, Chakradharpur	9
6	20170212902	Madhusudan Mahto High School, Chakradharpur	6
7	20170212905	Madhusudan Public School , Chakradharpur	4
8	20171700708	Tata DAV Public School, Noamundi	10
GRAND TOTAL			67

नामांकन हेतु उम्र सीमा की गणना 31 मार्च 2026 को आधार मानकर की जाएगी। अन्य आवश्यक वांछित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों की वैधता का आधार दिनांक 30 जून 2026 होगा–

- **ऑनलाईन आवेदन** :– इच्छुक/अर्हताधारी आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन **http://jepwestsinghbhum.in** वेबसाईट पर उपलब्ध प्रपत्र में कर सकते है।
- वेवसाईट पर आवेदन करने की निर्धारित प्रारंभिक तिथि 07 जुलाई 2026
- वेवसाईट पर आवेदन करने की निर्धारित अंतिम तिथि 25 जुलाई 2026
- आवेदन हाथों हाथ/डाक /ई–मेल के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

RTE के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर आवेदन एवं नामांकन हेतु शर्ते है :–

1. अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार गैर–सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश की सुविधा पड़ोस के अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए है। पड़ोस से तात्पर्य है विद्यालय के एक कि.मी. दूरी सीमा के अधीन वास करने वाले बच्चें। यदि इस दूरी सीमा में पर्याप्त बच्चें उपलब्ध नहीं होते है तो विद्यालय के विस्तारित सीमा अर्थात तीन कि.मी. की दूरी सीमा में वास करने वाले बच्चों का नामांकन किया जायेगा। फिर भी यदि सीट खाली रह जाता है तो छः कि.मी. दूरी सीमा तक वास करने वाले बच्चों का नामांकन किया जायेगा। उक्त के आलोक में दूरी के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर नामांकन हेतु चयन किया जाएगा। विद्यालय से कम दूरी वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित निजी विद्यालय के रिक्त सीटों (25 प्रतिशत सीट) पर नामांकन लिया जाएगा।
2. अभिवंचित समूह से तात्पर्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय, 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्ततायुक्त एवं अनाथ बच्चें।
3. कमजोर वर्ग से तात्पर्य है कि ऐसे बच्चें, जो अभिवंचित समूह में नहीं आते हो जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 72,000/– रूपया से कम हो।

4. अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन में प्राथमिकता वैसे बच्चों को दी जायेगी, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 72,000/– रूपया से कम हो।

5. विद्यालय के पास–पड़ोस की दूरी सीमा का निवासी होने के लिए बच्चा, पालक/अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज नामांकन हेतु मान्य होंगे :–

- आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र
- ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना)
- राशन कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/बिजली बिल जिसमें पालक/अभिभावक के निवास का पता अंकित हो।

6. अभिवंचित समूह, कमजोर वर्ग एवं पारिवारिक आय के प्रमाण स्वरूप निम्नांकित दस्तावेज मान्य होंगेः–

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक का कोई भी सरकारी दस्तावेज, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने का उल्लेख हो।
- 40 प्रतिशत विकलांगता वाले बच्चों के लिए मेडिकल बोर्ड/असैनिक शल्य चिकित्सक, सदर अस्पताल/चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र।
- सम्बन्धित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण–पत्र।

7. नर्सरी में नामांकन हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा 03 वर्ष से 04 वर्ष, एल.के.जी. में नामांकन हेतु 04 वर्ष से 05 वर्ष एवं कक्षा 01 में नामांकन हेतु उम्र सीमा 06 वर्ष से 07 वर्ष होगी।

निम्नलिखित प्रमाण अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे :–

❖ **<u>जन्म प्रमाण पत्र का प्रमाणः–</u>** जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण–पत्र अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के द्वारा विधिवत निर्गत जन्म प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

❖ **<u>आवास प्रमाण–पत्र का प्रमाणः–</u>** बच्चे का नाम वाले माता/पिता के नाम पर सम्बन्धित अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र के साथ सक्षम प्राधिकार के द्वारा जारी राशन कार्ड अथवा बच्चे का या उसके माता–पिता के निवास का प्रमाण–पत्र अथवा माता–पिता में से किसी एक का मतदान पहचान–पत्र अथवा बिजली बिल/टेलीफोन बिल/ बैंक पासबुक/ आधार कार्ड/जॉब कार्ड अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

❖ **<u>आय प्रमाण–पत्र का प्रमाणः–</u>** अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन आय प्रमाण–पत्र जिसमें बच्चें के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 72000/– रूपया या उससे कम अंकित हो, को अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुए बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड (अगर उपलब्ध हो तो) उसे भी अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

❖ **<u>अभिवंचित वर्ग का प्रमाणः–</u>** अंचलाधिकारी/अनुमण्डलाधिकारी/उपायुक्त कार्यालय द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र, सरकारी अस्पताल का चिकित्सा प्रमाण–पत्र यदि बच्चा निःशक्त हो। अनाथ बच्चे की स्थिति में अंचलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

❖ बच्चों की आवेदन हेतु माता–पिता/अभिभावक के द्वारा दिये गये सभी दस्तावेज एवं बच्चे के संबंध में दिये गये सभी सूचना सही है इस आशय का प्रमाण–पत्र/ घोषणा–पत्र अभिभावक द्वारा दिया जाएगा।

❖ नामांकन के प्रक्रिया के दौरान एवं नामांकन के उपरांत बच्चे/ माता–पिता/ अभिभावक के संबंध में दिये गये कोई भी सूचना/ दस्तावेज यदि गलत पाये जाते है तो आवेदन/ नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी माता–पिता/अभिभावक की होगी।

❖ नामांकन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति को शिथिल करने/आंशिक एवं पूर्ण रूपेण संशोधित करने तथा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

07-07-26

07/07/24

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
समग्र शिक्षा, पश्चिमी सिंहभूम